सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,
विकास आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096
टेलि: 022-28294799, फैक्स: 022-28291754

सीप्ज़ - सेज़/ईएमएस/डब्ल्यू/जीसी/67/2014-15/वॉल्यू.II   दिनांक 19.12.2016

गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु निविदा सूचना ।

सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण निम्नलिखित गैर खतरनाक ठोस अपशिष्टों के तिमाही आधारपर निपटान हेतु मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है:-

क्रमांक	**विवरण**
1	मिश्रित कचरा
2	मिश्रित अपशिष्ट
3	मिश्रित प्लास्टिक
4	कार्डबोर्ड / कार्टन
5	कांच
6	लकडी
7	एलडी / एचडी प्लास्टिक
8	मेटल स्क्रैप
9	थर्माकॉल
10	व्हाइट पेपर
11	कलर पेपर

उपर्युक्त उत्पादों की पिछली तिमाही में औसत मात्रा निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ब्यौरे	औसत मात्रा	यूनिट
1	मिश्रित अपशिष्ट	260830	किलो
2	मिश्रित प्लास्टिक	4120	किलो
3	कार्डबोर्ड / कार्टन	35740	किलो
4	कांच	3275	किलो
5	लकडी	59420	किलो
6	मेटल स्क्रैप	शून्य	
7	थर्माकॉल	शून्य	
8	व्हाइट पेपर	शून्य	
9	कलर पेपर	शून्य	

(I) **निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:-**

1. निविदा **3 महीने** की अवधि के लिए स्वीकृत की जाएगी ।
2. लिफाफा जिसमें कोटेशन रखा गया हो, के ऊपर यह लिखा जाए - **गैर खतरनाक ठोस अपशिष्टों के लिए सीप्ज़ - सेज़ निविदा** । लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एजेन्सी का नाम लिखा जाए ।

3. लिफाफे में निम्नलिखित चीजे रखी जाएं:

(क) वित्तीय कोटेशन में उपर्युक्त दर्शाए गए प्रत्येक आइटम के लिए अलग - अलग प्रति किलो दर का उल्लेख किया जाए । तथापि, वज़न किए गए पिछले तीन महीनों के औसत अपशिष्ट के आधार पर परिकलित कुल मूल्य के आधार पर निविदा स्वीकृत की जाएगी ।

(ख) सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण निधी के पक्ष में बयाना राशि जमा के रूप में 50,000/- (पचास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा ।

(ग) पैन तथा टिन की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां ।

(घ) उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में निविदा समिति द्वारा कोटेशन रद्द किया जा सकता है ।

(II) **कोटेशन खोले जाने के संबंध में:-**

कोटेशन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख दिनांक 30.12.2016 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक है । मुहरबंद कोटेशन विकास आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन हॉल में उसी दिन **अपराह्न 3.00** बजे बोलीदाताओं तथा अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा समिति द्वारा खोले जाएंगे ।

(III) **संविदा की शर्तें:-**

1. निविदा प्राप्तकर्ता को संविदा दिए जाने के 3 दिनों के अंदर 2,00,000/- (दो लाख रूपए मात्र) जमा करने होंगे ।
2. जमा की जाने वाली 2,00,000/- (दो लाख रूपए मात्र) की राशि के समाप्त होने पर निविदा प्राप्त करने वाले को बाद में अपशिष्ट उठाने के लिए अग्रिम जमा करना होगा ।
3. वैट तथा टीसीएस का प्रभार अलग से देना होगा ।
4. अपशिष्ट / कचरा का निपटान इस प्रकार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कचरा कुंडी हमेशा साफ रहे । पाटन क्षेत्र के निकट कचरा / अपशिष्ट जमा नहीं होना चाहिए ।
5. प्रत्येक एकांतर दिनों पर कचरा / अपशिष्ट का निपटान किया जाए ।
6. यदि संविदाकार प्रत्येक एकांतर दिनों पर कचरा / अपशिष्ट उठाने में विफल रहता है तो उसको 5000/- (पांच हजार रूपए मात्र) का जुर्माना देना होगा तथा यदि एक सप्ताह से अधिक समय तक कचरा / अपशिष्ट नहीं उठाता है तो उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी तथा नए कोटेशन मंगाए बिना अगले बोलीदाता को ठेका दे दिया जाएगा ।
7. गटर अपशिष्ट के वजन का निर्धारण करने पश्चात उस दर से जिसके अनुसार बोली स्वीकृत की गई है प्राधिकरण द्वारा बिल बनाया जाएगा । बिल पर लागू होने वाले अन्य करों का भी सफल बोलीदाता को भुगताना करना होगा ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संपदा प्रबंधक /
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण